	हुक्म या कार्यवाही मद इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
24/10/18	वकील फरीकैन उप० पूर्वानुसार पत्रावली जवाब अप्रार्थी सं० 2 को अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि० 14/11/18 को पेश हो।	
14/11/18	वकील फरीकैन उप०/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि० 19/12/18 को पेश है।	
19/12/18	वकील फरीकैन उप० अप्रार्थी सं० 2 का जवाब पेश किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दि० 6/2/19 को पेश हो।	
6/2/19	वकील फरीकैन उप० पूर्वानुसार बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/2/19 को पेश हो।	
19/2/19	वकील फरीकैन उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली बाद तकमील होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
44 / 16	अस्थायी निषेधाज्ञा	31.08.16	19.02.19

बलराम पुत्र प्रहलाद आयु 32 साल जाति मीना निवासी लूलोज तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र बद्री आयु 62 साल जाति मीना निवासी लूलोज तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम लूलोज तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 586 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 2 के पितामह व अप्रार्थी सं0 1 के पिता बद्री पुत्र गेंदया के 1/3 हिस्से व खातेदारी व आराजी खरा नं0 778 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा के तन्हा खातेदारी व खसरा नं0 605, 627, 630, 631, 639, 725, 788, कुल किता 7 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा के 1/4 हिस्से खातेदारी व खसरा नं0 587, 628, 647, 651, 685, 723, 779, 803, 804 कुल किता 9 कुल रकबा 9 बीघा 09 बिस्वा के 1/3 हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की बद्री के समय की पुश्तैनी है। प्रार्थी के पितामह एवं अप्रार्थी सं0 1 के पिता बद्री पुत्र गेंदया का स्वर्गवास हो चुका है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 व 2 का बद्री पुत्र गेंदया के हिस्से की भूमि व तन्हा भूमि मे समान हिस्सा 1/3, 1/3 है। अप्रार्थी नं0 1 ने प्रार्थी के पितामह बद्री के मरने के बाद राजस्व कर्मियों से साजिस कर नामान्तरकरण सं0 841 दिनांक 5.3.2016 के प्रार्थी से छिपाते हुए अपने हक मे अवैध खातेदारी इन्द्राज करा लिये है। जो हक हकूक प्रार्थी पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है और प्रार्थी पर बाध्यकारी नही है। प्रार्थी ने दिनांक 23.08.2016 को अप्रार्थी नं0 1 से विवादित आराजीयात मे अपने हक हिस्से खातेदारी की भूमि मे 1/3 हिस्से की खातेदारी इन्द्राज दुरस्त कराने की कहा और प्रार्थी के हिस्से का बंटवारा कर अलग से खातेदारी इन्द्राज व लगान सेपरेट कराने की कहा तो अप्रार्थी नं0 1 ने साफ इंकार कर दिया और भूमि को बैंको मे रहन रखने व दीगर व्यक्तियों का रहन वय करने की एलानिया कहा और धमकी दी है। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 1 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिले खारिज होने योग्य है। मुताबिक पारिवारिक सजरा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 01 ता 04 के अनुसार किशोर से तीन पुत्र संतानें बद्री, ठण्डी व गुलाब हुए जिसमे बद्री व गुलाब फौत हो चुके है। बद्री के एक पुत्र अप्रार्थी सं0 1 प्रहलाद है एवं प्रहलाद के दो पुत्र कैलाश अप्रार्थी सं0 2 तथा बलराम प्रार्थी एवं उसकी पत्नि केशन्ती है। गुलाब का पुत्र रामचरण अप्रार्थी सं0 3 है। प्रार्थना

Scanned by CamScanner

पत्र के मद नं0 2 मे दर्ज आराजीयात जिसे प्रार्थी ने पुश्तैनी होने का अभिकथन किया है, वो अस्वीकार है एवं प्रार्थी/अप्रार्थी सं0 1 का जायज पुत्र बलराम जबरदस्ती लट्ठ के दम पर अप्रार्थी सं0 1 के जीवनकाल मे जीवित रहते हुए अपनी भूमि लेना चाहता है। आराजी खसरा नं0 778 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा जो कि अप्रार्थी सं0 1 के पिता भूरा व राधेश्याम व भरतलाल पिसरान पांच्या से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.09.1983 को क्रय की थी एवं जेरे आराजी को निस्फ (पूर्ण) हिस्से का खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं0 1 है। ग्राम के समझदार लोगों द्वारा समझाने पर प्रार्थी को कहा कि अप्रार्थी सं0 1 तुम्हारे पिता है एवं अभी तुम्हारी मॉ मौजूद है, एवं विमंदित है। इनके जीवनकाल मे किसी भी प्रकार का बंटवारा ना ले, तब अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्व प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.08.2016 को मिथ्या वाद हेतुक बतलाकर अप्रार्थी सं0 1 की जेर आराजीयात को रहने एवं बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष मे नामान्तरकरण सं0 841 दिनांक 05.03.2016 को विधिक रूप से सही अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष मे खोला गया है एवं अीाी अप्रार्थी सं0 1 जीवित व मोजूद है जिसमे बद्री की विरासत सही रूप से अप्रार्थी सं0 के पक्ष मे खोली गयी है, ना कि उसके पौत्र(पोते) प्रार्थी बलराम के व अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष मे। अप्रार्थी सं0 1 जेर आराजीयात का अपने हिस्से अनुसार काश्त काबिज होकर खातेदार चला आ रहा है एवं प्रार्थी को अप्रार्थी सं0 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने एवं विधिक रूप से बंटवारा कराने का किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नही है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 2 अपने अपने पिता के जीवनेकाल मे जेर आराजीयात मे किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम लूलोज तहसील सपोटरा सम्बत् 2071–74 के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 एवं अन्य सहखातेदारान विवादित आराजीयात के संयुक्त खातेदार दर्ज है जिसमे प्रार्थी का कोई हिस्सा दर्ज नही है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 पिता पुत्र है प्रार्थी के पिता एवं मॉ अभी जीवित है, माता पिता के फोत होने के बाद विरासत से पुत्र एवं पुत्रियों के हक विधिवत विरासत का नामान्तरकरण खोला जाता है। प्रार्थी के तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। इसलिए सुविधा का संतुलन एव अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही है। प्रार्थी अंप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner